न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

GCMS id : 2025 / 29

प्रकरण संख्या : 17 / 25

लोकेश गौतम पुत्र पूरण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कैथून तहसील लाड़पुरा जिला कोटा। –वादी	
	बनाम
	1. पूरण पुत्र मूलचंद जाति ब्राह्मण। 2. हीरेन्द्र पुत्र पूरण जाति ब्राह्मण। 3. यशीष पुत्र योगेन्द्र जाति ब्राह्मण। 4. शीला बाई पत्नी योगेन्द्र जाति ब्राह्मण। 5. हर्षिता पुत्री योगेन्द्र जाति ब्राह्मण। निवासीगण– मोहनलाल की आरा मशीन वाली गली कैथून तहसील लाड़पुरा जिला कोटा। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा, कोटा। –प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–88–89–188–92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति : श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी– (प्रार्थी)
श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक वादी (अप्रार्थी)

निर्णय O7R11 & 151 CPC

दिनांक : 27.06.2025

1-	प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र बाबत सव्यय खारिज किये जाने वाद, न्यायालय हाजा में पेश किया गया।
2-	प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी में निवेदन किया गया कि – ~ वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज खसरा नम्बर 322 व 355 की कुल 1.48 हैक्टर भूमि मे से खसरा नम्बर 335 की 1.39 हैक्टर भूमि मे प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ खातेदार घोषित किये जाने की सहायता चाही है। जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज नही है और न कब्जा है। इस कारण वादी का वाद खारिज होने योग्य है। ~ प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने खाते दर्ज भूमियों मे से खसरा नम्बर 335 की 1.39 हैक्टर भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 3 के नाम तथा 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 5 के नाम जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.02.2025 से दान कर दिया हे। जिसका इंतकाल प्रतिवादी नम्बर 3 व 5 के नाम तस्दीक हो चुका है। इस कारण वादी उक्त खसरा नम्बर 335 की 1.39 हैक्टर भूमि के बाबत् किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नही है। ~ प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने खाते की भूमि मे से खसरा नम्बर 334 की 0.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 336 की 1.98 हैक्टर कुल 2.14 हैक्टर भूमि को भी दिनांक 28.11.2024 के रजिस्टर्ड दान पत्र से भूमि वादी को दान कर दी जो वादी के खाते दर्ज हो गयी है। इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने खाते की भूमि मे से खसरा नम्बर 334 की 0.65 व खसरा नम्बर 337 की 2.90 हैक्टर कुल 3.55 हैक्टर भूमि को भी दिनांक 28.11.2024 के रजिस्टर्ड दान पत्र से भूमि प्रतिवादी नम्बर 2 को दान कर दी जो प्रतिवादी नम्बर 2 के खाते दर्ज हो गयी है। ~ उपरोक्त भूमियां प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते की भूमियां थी, जिसको वादी व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 व 5 को दान कर खाते दर्ज करवा दी है, जिसकी जानकारी वादी को हे। किंतु उसने तथ्यों को छिपा कर वाद पेश यिका जो खारिज होने योग्य है। ~ वादी विवादित भूमि के दान पत्र को निरस्त कराये बिना खसरा नम्बर 35 की भूमि के बाबत् कोई वाद नही ला सकता हे। वादी को वाद लाने का अधिकार नही हे। इस कारण वाद इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। ~ खसरा नम्बर 335 की भूमि कोपार्सनरी की भूमि नही है तथा वादी का उक्त भूमि मे किसी प्रकार का कोई संबंध नही है तथा वादी का उक्त भूमि मे किसी प्रकार का हक व हिस्सा भी नही है। इस कारण इसी आधार पर वादी का वाद खारिज होने योग्य है। ~ वादी को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ। वादी ने वाद पत्र की प्लीडिंग मे वाद कारण पैदा होने का कोई कथन अंकित नही किया है वाद कारण के अभाव मे दावा वादी खारिज होने योग्य है। ~ अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी नम्बर 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर वादी

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
ACM(HQ) Kota

द्वारा प्रस्तुत वाद उपरोक्त आधारों पर निरस्त फरमाया जावे।

3- अप्रार्थी (वादी) की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि –

≈ प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 मे वर्णित तथ्य प्रार्थिनी द्वारा जिस प्रकार आलेखित किया गया है, स्वीकार योग्य नही है, उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमे वादी का हक व अधिकार, कब्जा चला आ रहा है।

≈ उपरोक्त वर्णित आराजी सदायिक की सम्पत्ति है जिसमे वादी का हक अधिकार एवं कब्जा चला आ रहा है। जिसको प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय सक्षम न्यायालय होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

≈ प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे उठाये गये तथ्य, साक्ष्य एवं विधि के प्रश्न है जिन्हें तनकीयात बनाकर ही निर्णत किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

≈ माननीय न्यायालय द्वारा वादी का प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मानकर ही दर्ज किया है और दर्ज करने के बाद प्रार्थिनी को नोटिस जारी किया है। जिसके विपरीत प्रार्थिनी स्टोप्ड है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

4- उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC का जवाब पेश होने तथा हमने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई –

~ **प्रार्थी (प्रतिवादी–4)** के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज खसरा नम्बर 322 व 355 की कुल 1.48 हैक्टर भूमि मे से खसरा नम्बर 335 की 1.39 हैक्टर भूमि मे प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ खातेदार घोषित किये जाने की सहायता चाही है। जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज नही है और न कब्जा है। इस कारण वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

~ प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने खाते दर्ज भूमियों मे से खसरा नम्बर 335 की 1.39 हैक्टर भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 3 के नाम तथा 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 5 के नाम जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.02.2025 से दान कर दिया हे। जिसका इंतकाल प्रतिवादी नम्बर 3 व 5 के नाम तस्दीक हो चुका है। इस कारण वादी उक्त खसरा नम्बर 335 की 1.39 हैक्टर भूमि के बावत् किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने को अधिकारी नही है।

~ प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने खाते की भूमि मे से खसरा नम्बर 334 की 0.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 336 की 1.98 हैक्टर कुल 2.14 हैक्टर भूमि को भी दिनांक 28.11.2024 के रजिस्टर्ड दान पत्र से भूमि वादी को दान कर दी जो वादी के खाते दर्ज हो गयी है। इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने खाते की भूमि मे से खसरा नम्बर 334 की 0.65 व खसरा नम्बर 337 की 2.90 हैक्टर कुल 3.55 हैक्टर भूमि को भी दिनांक 28.11.2024 के रजिस्टर्ड दान पत्र से भूमि प्रतिवादी नम्बर 2 को दान कर दी जो प्रतिवादी नम्बर 2 के खाते दर्ज हो गयी है।

~ उपरोक्त भूमियां प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते की भूमियां थी, जिसको वादी व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 व 5 को दान कर खाते दर्ज करवा दी है, जिसकी जानकारी वादी को हे। किंतु उसने तथ्यों को छिपा कर वाद पेश किया जो खारिज होने योग्य है।

~ वादी विवादित भूमि के दान पत्र को निरस्त कराये बिना खसरा नम्बर 35 की भूमि के बावत् कोई वाद नही ला सकता हे। वादी को वाद लाने का अधिकार नही हे। इस कारण वाद इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है।

~ खसरा नम्बर 335 की भूमि कोपार्सनरी की भूमि नही है तथा वादी का उक्त भूमि मे किसी प्रकार का कोई संबंध नही है तथा वादी का उक्त भूमि से किसी प्रकार का हक व हिस्सा भी नही है। इस कारण इसी आधार पर वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

~ वादी को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ। वादी ने वाद पत्र की प्लीडिंग मे वाद कारण पैदा होने का कोई कथन अंकित नही किया है वाद कारण के अभाव मे दावा वादी खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी नम्बर 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उपरोक्त आधारों पर निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी (वादी) के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि

≈ प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 मे वर्णित तथ्य प्रार्थिनी द्वारा जिस प्रकार आलेखित किया गया है, स्वीकार योग्य नही है, उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमे वादी का हक व अधिकार, कब्जा चला आ रहा है।

≈ उपरोक्त वर्णित आराजी सदायिक की समपत्ति है जिसमे वादी का हक अधिकार एवं कब्जा चला आ रहा है। जिसको प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय सक्षम न्यायालय होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

≈ प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे उठाये गये तथ्य, साक्ष्य एवं विधि के प्रश्न है जिन्हें तनकीयात बनाकर ही निर्णत किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

≈ माननीय न्यायालय द्वारा वादी का प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मानकर ही दर्ज किया है और दर्ज करने के बाद प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया है। जिसके विपरीत प्रार्थिनी स्टोप्ड है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

5- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत (मुख्यतः) निम्नलिखित दशाओ मे वादपत्र नामंजूर किया जा सकता है –

(क)	जहां वह दाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

	(ख)	जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है।
	(ग)	जहां वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है।
	(घ)	जहां वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
	(ड)	जहां वाद दो प्रतियों में पेश नही किया हो।
	(च)	वादी नियम 9 के परन्तुकों का पालन करने में असफल रहता हो।

6- प्रार्थिया (प्रतिवादीगण) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में, प्रस्तुत वाद का *"वाद कारण उत्पन्न न होने तथा वाद के अवधि बाधित होने, इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार न होने व पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित होने के कारण वाद का विधि द्वारा वर्जित होने"* सम्बन्धी Substantial Questions उठाये गये है। उक्त Substantial Questions के परिप्रेक्ष्य में हमने, उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की सुनी गई बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दरतावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन–अध्ययन किया, जिसके आधार पर Substantial Questions इस प्रकार तय किये जाते है –

वाद कारण उत्पन्न न होना :– सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में किसी विचाराधीन दावे को नामंजूर (खारिज) किये जाने के लिये निर्धारित शर्तो में सबसे पहली शर्त ही यह है कि यदि कोई न्यायिक वाद वाद कारण प्रकट नहीं करता है तो ऐसा दावा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी (प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC मद नम्बर 9 में बिना वाद कारण के वाद पेश किये जाने सम्बन्धी Substantial Question उठाते हुये इस मद में अंकित किया है कि वाद पत्र की प्लीडिंग मे वाद कारण पैदा होने का कथन अंकित नही किया गया है। वाद कारण के अभाव मे दावा खारिज होने योग्य है।। वादी को यह दावा पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

प्रार्थी (प्रतिवादी–4) द्वारा वादपत्र पर प्रकट की गई वाद कारण उत्पन्न न होने सम्बन्धी उक्त आपत्ति पर अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से पेश वादपत्र की मद संख्या 7 में उल्लेख किया है कि "यह दावा प्रस्तुत करने का वाद कारण अंतिम बार दिनांक 19.02.2025 को वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम–1 से दर्ज नाम के आधार पर खुर्द–बुर्द नही करने के लिये कहा किंतु प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा अपने वाद की मद संख्या 07 में वाद कारण का अंकन किया है, जिसमें अंकितानुसार दिनांक 19.02.2025 को वाद कारण उत्पन्न होना उल्लेखित है। वादी ने वाद की मद नम्बर 07 में वाद कारण उल्लेखित किया है। अतः वर्तमान वाद कारण उत्पन्न होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान की शर्त क्रमांक–1 के अनुसार वादी का वाद आगे चलने योग्य है।

वाद के अवधि बाधित होने, इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार न होने व पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित होने के कारण वाद का विधि द्वारा वर्जित होना :– सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 की निर्धारित शर्तो में क्रम–4 की शर्त विधि द्वारा वर्जित होना है क्योंकि विधि द्वारा वर्जित होने पर कोई भी दावा न्यायालय में चलने योग्य नहीं रहता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिया (प्रतिवादिनी–1) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 में इस वाद के –

1. न्यायालय के क्षैत्राधिकार में न होने सम्बन्धी आपत्तियॉं शामिल की गई है।

1. न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होना – राजस्व प्रकरणों की सुनवाई के क्षैत्राधिकार का निर्धारण करने के लिये न्यायालय की यह अधिकारिता देखी जाती है है कि किन परिस्थितियों में, न्यायालय क्षैत्र (स्थान) में स्थित कृषि भूमि के, किस अधिनियम की, किन धाराओं के प्रकरणों की सुनवाई कर सकता है। किसी एक न्यायिक प्रकरण की क्षैत्राधिकारिता के लिये कृषि भूमि के स्थान, अधिनियम व धाराओं से भी महत्वपूर्ण बिन्दु है – "परिस्थिति"।

इसे प्रस्तुत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में देखने पर हम पाते है कि यह न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89, 188, 92ए के ग्राम अरन्या, पटवार हल्का काल्याखेड़ी, तहसील लाडपुरा के प्रकरणों की सुनवाई कर सकता है। इस हिसाब से तो यह प्रकरण इस न्यायालय की क्षैत्राधिकारिता का होना चाहिये परन्तु यहॉं हम इस बात पर भी गौर करेगें कि प्रकरण की परिस्थिति क्या है ? अर्थात यह प्रकरण किन परिस्थितियों में पेश किया गया है ?

प्रस्तुत प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार करने पर हम पाते है कि विवादित आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने खाते दर्ज खसरा नम्बर 335 की 1.39 हैक्टर भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 3 के नाम तथा 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 5 के नाम जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.02.2025 से दान कर दिया है जिसका इंतकाल प्रतिवादी 3 व 5 के नाम तस्दीक हो चुका है तथा जमाबंदी संवत् 2070–73 खाता संख्या 197 खसरा नम्बर 335 प्रतिवादी क्रम 3 व 5 के नाम दर्ज रिकोर्ड है। वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,88, 89, 188, 92ए तहत दावा बाबत् विभाजन, घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। चूंकि उक्त विवादित आराजी का रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से प्रतिवादी क्रम 3 व 5 के खाते दर्ज हो चुकी है। रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। तथा रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त किये बिना वादी के अधिकारो की घोषणा विवादित आराजी के संबध मे किया जाना संभव नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,88,89,188, 92ए का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को है। परंतु रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त कर वादी के अधिकारो की घोषणा विवादित आराजी के संबंध मे किया जाना संभव नही है। अतः इस राजस्व न्यायालय में वादी का यह वाद पोषणीयं नही होने से इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होने से प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

7-	प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष की सुनी गई बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अवलोकन अध्ययन करने तथा प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियों के उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि :— ☛ वादी द्वारा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 188, 92ए के तहत विवादित आराजी का विभाजन, खातेदार घोषित किये जाने, राजस्व अभिलेख की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने हेतु न्यायालय हाजा में दावा पेश किया गया है। ☛ **ज्ञातव्य है कि** किसी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहे जाने से स्वतः स्पष्ट है कि न तो वे वर्तमान में विवादित आराजी के खातेदार है और न ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा है। खातेदारी व कब्जे के अभाव में वादी किस आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा की मॉग कर सकते है अर्थात वादी स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ☛ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 बाबत् घोषणा खातेदारी एवं राजस्व रिकोर्ड मे दुरूस्ती अनुतोष चाहे जाने से स्वतः स्पष्ट है। प्रतिवादी क्रम–1 ने अपने खाते दर्ज खसरा नम्बर 335 की 1.39 हैक्टर भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 3 के नाम तथा 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 5 के नाम जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.02.2025 से दान कर दिया है जिसका इंतकाल प्रतिवादी 3 व 5 के नाम तस्दीक हो चुका है तथा जमाबंदी संवत् 2070–73 खाता संख्या 197 खसरा नम्बर 335 प्रतिवादी क्रम 3 व 5 के नाम दर्ज रिकोर्ड है। रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त किये बिना वादी के अधिकारो की घोषणा विवादित आराजी के संवंध मे करना संभव नही है। अतः वादी का वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89, 188, 92ए बाबत् विभाजन, घोषणा खातेदारी एवं राजस्व रिकोर्ड मे दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में वादी को यह वाद पेश करने का वाद कारण उत्पन्न होने परंतु इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होने कारण विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद–वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
8-	यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

Kota

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

बउनवान :–

लोकेश गौतम पुत्र पूरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कैथून तहसील लाड़पुरा जिला कोटा। – (वादी)

बनाम

1. पूरण पुत्र मूलचंद जाति ब्राहम्ण।
2. हीरेन्द्र पुत्र पूरण जाति ब्राहम्ण।
3. यशीष पुत्र योगेन्द्र जाति ब्राहम्ण।
4. शीला बाई पत्नी योगेन्द्र जाति ब्राहम्ण।
5. हर्षिता पुत्री योगेन्द्र जाति ब्राहम्ण।

निवासीगण– मोहनलाल की आरा मशीन वाली गली कैथून तहसील लाड़पुरा जिला कोटा।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा, कोटा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 53]88,89,188 RTA — GCMS id : 2025/29

मुकदमा नम्बर : 17 /25

निर्णय दिनांक : 27-06-2025

न्यायालय हाजा में विद्वान वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री बलराम शर्मा के बाद आज तारीख 27–06–2025 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कँवर, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर, वादी को यह वाद पेश करने का वाद कारण उत्पन्न होने, परंतु इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने कारण विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद–वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 27 जून, 2025 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	